सं०सं०–03/परी०–BTSC–(अधि०)01–02/2023..342........ पटना, दिनांक:– 29/01/2025

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०–38/2023 से 52/2023, (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों) Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा–निर्देश:–

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित **विज्ञापन सं०–38/2023 से 52/2023** के अन्तर्गत योग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन विभिन्न चरणों में पूर्व में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में सम्पन्न कराया गया है।

पदवार मेधासूची तैयार करने के क्रम में पाया गया कि कतिपय **विज्ञापन/ग्रुप (विज्ञापन सं०–39/2023 (ग्रुप–02), 41/2023 (ग्रुप–04), 42/2023 (ग्रुप–05), 43/2023 (ग्रुप–06) एवं 52/2023 (ग्रुप–15))** में अंतिम मेधासूची का कट–ऑफ अंक विज्ञापन/ग्रुप के दस्तावेज सत्यापन के कट–ऑफ अंक से कम हो जा रहा है। उक्त विज्ञापनों के अन्तर्गत पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु **कुल–70** अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

आयोग के पत्रांक–2027, दिनांक–11.09.2024 द्वारा व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु पूर्व में आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गयी है, जो लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को निदेश है कि;

(i) आयोग के पत्रांक–2027, दिनांक–11.09.2024 में दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देश के अनुरुप दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) अपनी अर्हता, आरक्षण (कोटि) एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत अनिवार्य कार्यानुभव एवं अन्य सभी दावों से संबंधित सभी साक्ष्य आदि सहित दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) आयोग के पत्रांक–3261 दिनांक–31.10.2024 के द्वारा दावा/आपत्ति से संबंधित निर्गत दिशा–निर्देश एवं आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) से संबंधित दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए अपना सभी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र उक्त दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) अभ्यर्थियों को निदेश है कि अपने अनिवार्य कार्यानुभव संस्थान में कार्यरत रहने, संस्थान/उद्योग को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने एवं आरक्षण कोटि के दावा संबंधी सभी आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज सत्यापन के समय ही प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु अलग से कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

(v) **इस अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित अभ्यर्थियों को दावा/आपत्ति हेतु कोई अतिरिक्त अवसर देय नहीं होगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।**

उक्त क्रम में संबंधित विज्ञापनों के अभ्यर्थियों हेतु **दिनांक–01.02.2025 को दो पालियों (प्रथम पाली 10:00AM–01:30PM एवं द्वितीय पाली 02:30PM–06:00PM) में** दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में निर्धारित किया गया है। विज्ञापनवार आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

(नोटः– शेष विज्ञापनों का मेधासूची तैयार किया जा रहा है, उक्त दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् सभी विज्ञापनों का चयन सूची एक साथ प्रकाशित किया जायेगा।)

अनु०ः– (i) आमंत्रित 70 अभ्यर्थियों की सूची एवं दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यक्रम।
(ii) आयोग के पत्रांक–2027, दिनांक–11.09.2024 एवं पत्रांक–3261 दिनांक–21.10.2024 की प्रति।

29.1.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\VYAVASAAY ANUDESHAK\For Degree & Diploma\DISHA-NIRDESH_2

बिहार तकनीकी सेवा अयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

DATE	Advt. No-38/2023 To 52/2023 (Group-1 To 15)							
	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group
01-02-2025 1st Sitting (10:00 am - 1:30 pm)	1	DD000364	SHAILENDRA KUMAR YADAV	Group15	19	DD010451	KAUSHAL KUMAR	Group6
	2	DD000719	BRIJESH KUMAR	Group15	20	DD010743	PRAVEEN KUMAR CHOUDHARY	Group2
	3	DD000853	RAM RAJA	Group2, Group5	21	DD010824	SUJEET KUMAR SUMAN	Group6
	4	DD001068	MD HASNAIN AAZAM	Group6	22	DD011108	CHANDAN ANAND	Group5
	5	DD001121	NAYAN KUMAR	Group5	23	DD011768	RANJEET KUMAR	Group15
	6	DD001497	AMIT KUMAR	Group5	24	DD011930	PRABHU NATH SINGH	Group5
	7	DD001617	PRABHAT KUMAR	Group15	25	DD012012	SUJIT KUMAR	Group4
	8	DD002033	RAUSHAN KUMAR DAS	Group5, Group15	26	DD012141	CHANDAN KUMAR	Group4
	9	DD006826	MITHUN KUMAR RAVIDAS	Group5, Group15	27	DD012321	ANKIT KUMAR	Group15
	10	DD006912	SURENDRA KUMAR DASS	Group15	28	DD012359	AKHILESH KUMAR	Group6
	11	DD007207	RAJU KUMAR	Group4,Group5	29	DD012665	AVINASH KUMAR	Group6
	12	DD007485	RAM BINESH BAITHA	Group5, Group15	30	DD013032	ABHISHEK KUMAR SINGH	Group4
	13	DD008380	VIKAS KUMAR RAM	Group15	31	DD014060	ROHIT KUMAR	Group15
	14	DD008480	GHANSHYAM KUMAR SHARMA	Group5	32	DD015223	VIKASH KUMAR	Group15
	15	DD009288	KAUSHAL KISHORE	Group4	33	DD015465	AMAR KUMAR JYOTI	Group4,Group5
	16	DD009412	SURYA PRAKASH	Group5	34	DD015636	DEEPAK KUMAR	Group4,Group5
	17	DD009626	BRAJ BHUSHAN	Group4	35	DD015775	NITISH KUMAR SAH	Group6
	18	DD009772	AMRENDRA KUMAR	Group4				

DATE	Advt. No-38/2023 To 52/2023 (Group-1 To 15)							
	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group
01-02-2025 2nd Sitting (2:30 pm - 6:00 pm)	1	DD016042	JANMJAY KUMAR	Group5	19	DD020297	SHIV RAJ KUMAR	Group2
	2	DD016489	NITISH KUMAR	Group6	20	DD020918	SANJEEV KUMAR RANJAN	Group15
	3	DD016757	ANKIT KUMAR	Group5	21	DD021370	AVINASH KUMAR	Group5
	4	DD017143	MD MUZAHID MANSUR	Group15	22	DD021405	PRANAV KUMAR	Group15
	5	DD017146	SANJEEV KUMAR	Group6	23	DD021534	DHARMENDRA BHUSHAN	Group5
	6	DD017338	RACHANA KUMARI	Group5	24	DD021959	PRASHANT KUMAR	Group4
	7	DD017353	AMIT KUMAR RAM	Group15	25	DD022536	AJEET KUMAR	Group15
	8	DD017482	GAUTAM KUMAR	Group2	26	DD022650	SUBHASH KUMAR	Group5
	9	DD017528	PREMRANJAN KUMAR	Group5	27	DD023216	VIKASH KUMAR	Group6
	10	DD017565	RAKESH RAJAK	Group2, Group15	28	DD023522	ANURAG PRIYADARSHI	Group4
	11	DD017664	KUNAL KUMAR	Group4	29	DD023788	ANKIT KUMAR	Group4
	12	DD018809	ADARSH KUMAR SINHA	Group5	30	DD024584	RIYA KUMARI POOJA	Group5
	13	DD018822	RAVINDRA KUMAR	Group5	31	DD024616	MANISH KUMAR	Group5
	14	DD018842	NILESH NILABH	Group4	32	DD024655	KUMAR RAJU	Group4
	15	DD019149	NISHIKANT KUMAR	Group5	33	DD024690	AMITOSH KUMAR	Group6
	16	DD019377	AMIT KUMAR	Group2	34	DD024817	CHANDRASHEKHAR KUMAR	Group15
	17	DD019438	AZAD KUMAR	Group15	35	DD025971	ANAND KUMAR	Group5
	18	DD019489	PRANAV KUMAR NARAYAN	Group2,Group5				

29.1.2025
प्रभारी सचिव
बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना।

सं०सं०–03 / परी०–BTSC–(अधि०)01–02 / 2023...2027...... पटना, दिनांकः–...11.09.24

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०–38 / 2023 से 52 / 2023, (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा–निर्देशः–

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma **योग्यताधारी** अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित **विज्ञापन सं०–38 / 2023 से 52 / 2023** के अन्तर्गतयोग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों से आयोग के पत्रांक–1702, दिनांक–05.08.2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादनोपरांत **दिनांक–18.09.2024 से 28.09.2024 दो पालियों (प्रथम पाली 10:00AM–01:30PM एवं द्वितीय पाली 02:30PM–06:00PM) में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में संभावित है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची Application No. के अनुसार तिथिवार / पालीवार आयोग के Website पर प्रकाशित कर दिया गया है।**

कतिपय अभ्यर्थियों के एक से अधिक विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु तैयार मेधासूची में होने के कारण वैसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य एक ही तिथि को कराये जाने हेतु सभी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) Application No. के अनुसार किया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् वैसे आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के **Website:-www.btsc.bihar.gov.in** अथवा **http://103.75.167.252/DEGREE/LOGIN.ASPX** पर जाकर अपना Application No., Registered Mobile No., जन्म तिथि डालने के पश्चात Registered Mobile No. पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर Call Letter Download किया जा सकेगा।

विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत एक से अधिक पद होने एवं कतिपय अभ्यर्थियों के एक से अधिक विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत मेधासूची में होने के फलस्वरूप विज्ञापन के शर्त्तों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों से अंतिम चयन हेतु पदों के प्राथमिकता का विकल्प लिया जाना है। Call Letter generate करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम दस्तावेज सत्यापन के आमंत्रित विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत उपलब्ध सभी पदों प्राथमिकता के अनुसार घटते क्रम में विकल्प के रूप में चिन्हित करना अनिवार्य है। तदोपरांत, Call Letter विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र सहित generate किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को निदेश है कि पदों के विकल्प प्राथमिकता का चयन ध्यानपूर्वक करेंगे। पूर्ण रूप से भरे गए पदों के विकल्प प्राथमिकता को मात्र एक–बार ही परिवर्त्तित करने की अनुमति होगी। तदोपरांत्, अंतिम रूप से भरे गए पदों के विकल्प प्राथमिकता में किसी बदलाव हेतु किसी प्रकार के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

Call Letter के बिना दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने Application No. के अनुसार दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति, आवेदन पत्र की Downloaded प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगेः–

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की **मूल प्रति** एवं सभी प्रमाण पत्रों की **दो(02) प्रति स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति** दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के दौरान निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों का मूल से सत्यापन कराया जाना है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र० सं०	प्रमाण–पत्रों की विवरणी	प्रमाण–पत्रों का निर्गत होने का अन्तिम कट–ऑफ तिथि
1	**मैट्रिक का प्रमाण–पत्र**	–––
2	**निवास प्रमाण–पत्र**	
3	**फोटोयुक्त पहचान पत्र**	
4	**शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र** (i) विज्ञापनों के कंडिका–1(i) में वर्णित संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण–पत्र या 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण–पत्र। (ii) उपर्युक्त कंडिका–(i) में अंकित अर्हता के सभी वर्षों का उत्तीर्णता का अंक–पत्र। (iii) विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा CGPA/OGPA/CPI आदि को प्रतिशत में बदलने का Formula (यदि लागू हो) (iv) अभ्यर्थी के शैक्षणिक सत्र में अभ्यर्थी के Stream/Branch में अभ्यर्थी के Course संचालन की AICTE से मान्यता का साक्ष्य	18.10.2023 तक (केवल कंडिका–4(i) एवं 4(ii) हेतु)
5	**CITS प्रमाण–पत्र** (i) संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का एक वर्षीय प्रमाण–पत्र। (ii) संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का अंक पत्र। **नोटः– आवेदन में CITS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	18.10.2023 तक
6	**01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण–पत्र** राज्य सरकार / भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग / संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक / प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र। (साक्ष्य सहित, यदि लागू हो)	(A) दिनांक–18.10.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 18.10.2023 तक (B) परन्तु, विज्ञापन सं०–47 / 2023 (ग्रुप–10) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक व्यवसाय अनुदेशक के पद अन्तर्गत अभ्यर्थियों हेतु दिनांक–18.11.2023 से 25.11.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिनांक–25.11.2023 तक
7	**आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण–पत्र** जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र। **नोटः– आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	
8	**कार्यानुभव संबंधी प्रमाण–पत्र** श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर किये गये कार्य हेतु संबंधित पदस्थापन स्थल के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र। **नोटः– आवेदन में संविदा पर कार्यरत होने के कार्यानुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	
9	**दिव्यांगता प्रमाण–पत्र** **नोटः– आवेदन में दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	
10	**स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र** **नोटः– आवेदन में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।**	

11	Online Form की प्रति	———
12	Online Form में Upload किये गए फोटोग्राफ की पाँच प्रति।	———
13	Computer Based Test के Admit Card का परीक्षा केन्द्र में Invigilator द्वारा हस्तारित Candidate Copy	———
14	Computer Based Test का Score Card	———
15	विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र	———

3. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिया जायेगा।
4. विज्ञापन के कंडिका–1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण–पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण–पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया जायेगा।
5. विज्ञापन के कंडिका–1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत कार्यावधि की गणना दिनांक–**19.09.2023** तक की जायेगी।
6. विज्ञापन के कंडिका–1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण–पत्र को अमान्य कर दिया जायेगा।
7. विज्ञापन के कंडिका–1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण–पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

   CITS के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय होगा। (उदाहरणार्थ :–विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप–I के अन्तर्गत 06 अलग–अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी CITS का अंक ग्रुप–I के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मेधासूची में CITS हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु CITS की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)
8. विज्ञापन के कंडिका–3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्त्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को देय होगा।

   संविदा आधारित कार्यानुभव प्रमाण–पत्र हेतु विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है, इसी प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन में दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छुट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण–पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

   कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में कार्यानुभव प्राप्त है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय है। (उदाहरणार्थ :–विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप–I के अन्तर्गत 06 अलग–अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी कार्यानुभव का अंक ग्रुप–I के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मेधासूची में संविदा पर कार्यरत होने हेतु कार्यानुभव हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु कार्य अनुभव की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)
9. विज्ञापन के कंडिका–3(ii)(d) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक–**19.09.2023** तक किया जायेगा।

10. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र विज्ञापन की कंडिका–3(iii) के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट–I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया जायेगा।
11. यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
12. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 एवं पत्रांक–704, दिनांक–10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अचंल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
13. **आयोग द्वारा निर्धारित तिथि/पाली में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।**
14. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्रों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
16. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है।
17. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।
18. अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय–समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

11.9.2024

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

सं०सं०–03/परी०– B.T.S.C–(अ०)01–02/2023..3261 पटना, दिनांक:–21/10/2024

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–38/2023 से 52/2023 (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–38/2023 से 52/2023 के अन्तर्गत दिनांक–18.09.2024 से 28.09.2024 तक एवं 09.10.2024 को दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था। उक्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का ग्रुपवार ग्रुप के अन्तर्गत सभी पदों का पदवार प्राप्तांक, आरक्षण कोटि एवं अन्य विवरणी आयोग के वेबसाईट– **www.btsc.bihar.gov.in** अथवा इस लिंक पर **http://103.75.167.252/DEGREE** पर उपलब्ध है। इस क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों से **दिनांक–22.10.2024 से 27.10.2024 के अपराह्न 06:00 बजे तक** आपत्तियाँ (यदि हो तो) आमंत्रित की जाती है।

नोटः– एक से अधिक विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत सफल अभ्यर्थियों को निदेश है कि सभी विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत प्रकाशित विवरणी अलग–अलग देख लेंगे। एक विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत दर्ज किया गया आपत्ति केवल उसी विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत विचारणीय होगा।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आरक्षण कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति दर्ज करने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:–

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन में मूल में प्रस्तुत नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन की कंडिका–1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण–पत्र को अमान्य किया गया है।

   अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग/संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को **मान्य नहीं** किया गया है:–

   (i) GST निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

   (ii) Bihar Shop एवं Establishment Act के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

   (iii) संवेदक License, Contractor License के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

(iv) अभ्यर्थी के EPFO कटौती संबंधी विवरणी के आधार पर संबंधित संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना गया है।

3. विज्ञापन की कंडिका–1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण–पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण–पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।

4. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र (यथा– शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र) दिनांक–**18.10.2023** तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

परन्तु, आयोग के पत्रांक–3105, दिनांक–16.11.2023 द्वारा विज्ञापन सं०–47/2023 (ग्रुप–10) के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक व्यवसाय अनुदेशक पद के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक–18.11.2023 से 25.11.2023 तक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण के निमित्त निर्गत प्रमाण–पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण–पत्र दिनांक–**25.11.2023** तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

5. विज्ञापन की कंडिका–1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के लिए दिनांक–**19.09.2023** तक के कार्यावधि की गणना की गयी है।

6. विज्ञापन की कंडिका–1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण–पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य किया गया है।

CITS के अंकों की अधिमानता केवल उस व्यवसाय के अन्तर्गत दिया गया है, जिस व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है। (उदाहरणार्थ :– विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप–I के अन्तर्गत 06 अलग–अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को केवल Fitter व्यवसाय के पद हेतु CITS के अंकों की अधिमानता दी गई है। शेष व्यवसाय हेतु CITS की अधिमानता का अंक देय नहीं है।)

7. Reading of Drawing & arithmatic में CITS उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विभागीय जाँच समिति के निर्देश के आलोक में DGT के नियमों के अनुसार केवल ग्रुप–15 के अन्तर्गत Engineering Drawing एवं Workshop Calculation & Science अनुदेशक के पदों हेतु CITS के अधिमानता का अंक दिया गया है।

8. कार्यानुभव की अवधि एवं CITS के शैक्षणिक सत्र की अवधि में Overlap होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के कार्यानुभव को अमान्य कर दिया गया है।

9. विज्ञापन की कंडिका–3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित तथा वर्त्तमान में कार्यरत अवधि के समतुल्य कार्यानुभव का अंक अनुमान्य किया गया है।

कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता केवल उसी व्यवसाय के अन्तर्गत दिया गया है, जिस व्यवसाय में कार्यानुभव प्राप्त है। (उदाहरणार्थ :– विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप–I के अन्तर्गत 06 अलग–अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है तो उक्त अभ्यर्थी को केवल Fitter व्यवसाय के पद हेतु कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता दी गई है। शेष व्यवसाय हेतु कार्य अनुभव की अधिमानता का अंक देय नहीं है।)

10. विज्ञापन की कंडिका–3(ii)(d) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक–**19.09.2023** तक की गई है।

11. विज्ञापन की कंडिका–3(iii) के अनुसार कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट–I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।

12. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण–पत्र यथा– जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र

(EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्रमाण–पत्र निर्धारित Cut-off तिथि तक का होने पर ही मान्य किया गया है।

13. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
14. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र **पति के नाम** से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15760, दिनांक–02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
15. स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
16. दिव्यांगता प्रमण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
17. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपरोक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– 1. **संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**

2. **प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधासूची प्रकाशित की जा सकेगी।**

21.10.2024

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।